लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2019

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय ज्ञाप

सूच्य है कि विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सहयुक्तता हेतु निरीक्षक मण्डल एवं शिक्षकों के चयन हेतु विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने तथा सहयुक्तता हेतु निम्नानुसार शुल्क पूर्व से निर्धारित है :–

क.सं.	मद	निर्धारित शुल्क
1.	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नये महाविद्यालय प्रारम्भ/खोलने के लिए निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु	रू0– 50,000/– +18प्रशित जी.एस.टी.
2.	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु	रू0– 30,000/–+18प्रशित जी.एस.टी.
3.	नये पाठ्यक्रमों में प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन के लिए चयन समिति गठित करने हेतु विषय विशेषज्ञ नामित करने के लिए	रू0– 20,000/–+18प्रशित जी.एस.टी.
4.	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु सहयुक्तता शुल्क	रू0– 1,00,000/– +18प्रशित जी.एस.टी.
5.	नये विषयों में सहयुक्तता दिये जाने का शुल्क	रू0– 50,000/–+18प्रशित जी.एस.टी.

उक्त धनराशि महाविद्यालयों द्वारा अद्यतन वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में देय मूल बैंकड्राफ्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है किन्तु मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त धनराशि महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन जमा कराई जाय।

अतः आदेशानुसार समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि **30 जून, 2020 के पश्चात अर्थात 01 जुलाई, 2020 से उक्त धनराशि लखनऊ विश्वविद्यालय के खाते में "lufees.in" के माध्यम से 'ऑन लाइन' जमा कर उसकी रसीद संलग्न कर सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 30 जून, 2020 के उपरान्त किसी भी दशा में उक्त धनराशियों से सम्बन्धित बैंकड्राफ्ट स्वीकार्य नहीं होंगे।**

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AF/8487–93 दिनांक : 29/05/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
3. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित को अपने स्तर से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र को इस अनुरोध के साथ प्रषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. लेखाधिकारी, ल0वि0वि0 को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
6. उप कुलसचिव (लेखा)
7. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

(वी0पी0 कौशल)
उप कुलसचिव (सम्ब.)